पत्रिका

आबकारी विभाग ने सामी में अवैध शराब फेक्ट्री पकड़ी, 200 लीटर स्प्रीट, पैकिंग मशीन जब्त

सीकर. आबकारी विभाग सीकर ने लोसल के सामी गांव में देशी शराब बनाने की अवैध फेक्ट्रीपकड़ी है। अवैध अवैध फेक्ट्री सामी गांव में किराए के खेत में बने एक मकान में चल रही थी। आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी कर अवैध फेक्ट्री से 200 लीटर स्प्रीट, फेक्ट्री में बनाई शराब के 288 पव्वे, अलग-अलग ब्रांड के 10 हजार खाली पव्वे, बोटल व पव्वे पैकिंग वाली मशीन सहित अन्य सामान जब्त किया है। पुलिस ने खेत मालिक को भी गिरफ्तार किया है। हालांकि शराब बनाने वाला मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गया। फैक्ट्री को सील कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

खेत में बने कमरे में चल रही थी फेक्ट्री-

सीकर जिला आबकारी अधिकारी लक्ष्मीनारायण देवंदा ने बताया कि अवैध और नकली शराब को लेकर आबकारी विभाग की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। आबकारी टीम को ह्यूमन इंटेलिजेंस और नागौर डिपार्टमेंट से लोसल के सामी गांव में अवैध शराब की फेक्ट्री के बारे में जानकारी मिली थी। राजू बावरी नाम का आरोपी खेत किराए पर लेकर उसमें बने एक कमरे में शराब का कारखाना चला रहा था। सहायक आबकारी अधिकारी रामसहाय जाट के नेतृत्व में प्रहराधिकारी महेश मील सहित टीम ने अवैध शराब फेक्ट्री पर दबिश दी। आबकारी की टीम ने खेत मालिक शंकरलाल कुमावत (55) निवासी सामी को गिरफ्तार किया है।

Source: https://www.patrika.com/sikar-news/excise-department-caught-illegal-liquor-factory-in-sami-200-liters-of-spirit-packing-machine-confiscated-19830640